## परिशिष्ट–1

**(अनुच्छेद संख्या 1.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या–1)**

## विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

| क्र.सं. | विभाग का नाम | विभाग के कार्य/उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1. | नागरिक उड्डयन | विभाग का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो, जो कि बदले में पर्यटन, उद्योगों को बढावा देगा, रोजगार वृद्धि तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा देगा। |
| 2. | पर्यावरण | विभाग का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिये योजनायें, परियोजनायें, कार्यक्रम तैयार एवं निष्पादित करना तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किये गये पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की जांच करना है। |
| 3. | कारखाना एवं बायलर्स | विभाग के मुख्य उद्देश्य कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है। कारखानों में दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है। |
| 4. | वन | विभाग का मुख्य उद्देश्य वानस्पतिक आवरण को बढाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना है। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरूस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व के संरक्षण से प्राप्त किया जाना है। |
| 5. | उद्योग | इस विभाग के मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधायें तथा सहायता भी प्रदान करता है। |
| 6. | खान एवं भू-विज्ञान | खान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में खनिज संसाधनों की खोज, विकास एवं प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया था। विभाग नवीन खनिज भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनका सुनिश्चितता मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके। |
| 7. | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्य के प्रत्येक नागरिक को पीने योग्य पानी उपलब्ध करने के लिये प्रतिबद्ध है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्यव्यापी कार्यालय तंत्रप्रणाली के साथ तथा अत्याधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस, डी-फ्लोराइडेशन, स्काडा, सूचना प्रौद्योगिक, सौर ऊर्जा प्रोद्योगिकी के उपयोग से राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में पीने योग्य सुरक्षित पानी |

| क्र.सं. | विभाग का नाम | विभाग के कार्य/उद्देश्य |
|---|---|---|
| | | उपलब्ध करवा रहा है । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चरणबद्ध तरीके से भू-जल आधारित योजनाओं से सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं पर स्थानांतरित हो रहा है । इससे जल गुणवत्ता की समस्या से निपटने और पीने योग्य पानी की निर्बाध आपूर्ति में सहायता मिलेगी । |
| 8. | सार्वजनिक निर्माण | सार्वजनिक निर्माण विभाग को मुख्य रूप से सडकों, पुलों तथा राजकीय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव का काम सौंपा गया है । यह विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम करता है । |
| 9. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | विभाग का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना है । |
| 10. | राजकीय उपक्रम | विभाग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन से प्रभावित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है । |
| 11. | राजस्थान राज्य मोटर गैरेज | विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना है । इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है । |
| 12. | परिवहन | विभाग के मुख्य उद्देश्यों में मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, परिचालन अनुज्ञप्तियां जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना शामिल है । |

## परिशिष्ट-2

(अनुच्छेद संख्या 1.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-4)

## बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | विभाग का नाम | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | | | | बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या | | | | सन्निहित राशि (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग |
| 1 | नागरिक उड्डयन | 2 | 0 | 3 | **5** | 2 | 0 | 11 | **13** | 1.33 | 0 | 41.12 | **42.45** |
| 2 | पर्यावरण | 4 | 2 | 2 | **8** | 26 | 22 | 5 | **53** | 135.22 | 469.19 | 8.64 | **613.05** |
| 3 | कारखाना एवं बायलर्स | 5 | 0 | 0 | **5** | 7 | 0 | 0 | **7** | 0.14 | 0 | 0 | **0.14** |
| 4 | वन | 143 | 84 | 144 | **371** | 436 | 437 | 963 | **1,836** | 542.81 | 594.80 | 576.34 | **1,713.95** |
| 5 | उद्योग | 20 | 8 | 9 | **37** | 42 | 15 | 50 | **107** | 21.50 | 31.90 | 94.02 | **147.42** |
| 6 | खान एवं भू-विज्ञान | 171 | 68 | 95 | **334** | 464 | 265 | 643 | **1,372** | 1,261.70 | 354.07 | 483.30 | **2,099.07** |
| 7 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग | 793 | 206 | 222 | **1,221** | 2,319 | 1,297 | 1,593 | **5,209** | 3,981.90 | 4,353.32 | 3,963.65 | **12,298.87** |
| 8 | सार्वजनिक निर्माण | 856 | 219 | 281 | **1,356** | 3,818 | 1,319 | 1,908 | **7,045** | 3,572.53 | 853.81 | 2,895.52 | **7,321.86** |
| 9 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 3 | 1 | 10 | **14** | 3 | 2 | 35 | **40** | 2.02 | 5.07 | 14.54 | **21.63** |
| 10 | राजकीय उपक्रम | 2 | 0 | 2 | **4** | 2 | 0 | 9 | **11** | 0.08 | 0 | 26.13 | **26.21** |

| क्र.सं. | विभाग का नाम | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | | | | बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या | | | | सन्निहित राशि (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग | पांच वर्षो से पुराना | तीन से पांच वर्षो के मध्य | तीन वर्षो तक | योग |
| 11 | राजस्थान राज्य मोटर गैरेज | 0 | 2 | 3 | **5** | 0 | 2 | 19 | **21** | 0 | 0.43 | 14.76 | **15.19** |
| 12 | परिवहन | 176 | 48 | 60 | **284** | 593 | 231 | 581 | **1,405** | 15.30 | 17.31 | 51.28 | **83.89** |
| **योग** | | **1,830** | **476** | **578** | **3,644** | **6,735** | **2,851** | **4,145** | **17,119** | **7,571.83** | **5,229.94** | **6,965.88** | **24,383.73** |

## परिशिष्ट-3

(अनुच्छेद संख्या 1.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-28 )

## निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | | | | बकाया अनुच्छेदों की संख्या | | | | संबद्ध राशि (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग |
| 1. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 16 | 13 | 28 | 57 | 29 | 34 | 118 | 181 | 19.03 | 31.67 | 287.46 | 338.16 |
| 2. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 9 | 22 | 44 | 75 | 15 | 36 | 205 | 256 | 58.87 | 38.85 | 490.87 | 588.59 |
| 3. | राजस्थान राज्य खान एंड खनिज लिमिटेड | 5 | 8 | 9 | 22 | 6 | 26 | 54 | 86 | 1.12 | 188.35 | 113.45 | 302.92 |
| 4. | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 38 | 50 | 0.54 | 0.70 | 498.70 | 499.94 |
| 5. | बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9.53 | 9.53 |
| 6. | राजस्थान वित्त निगम | 16 | 20 | 32 | 68 | 31 | 47 | 120 | 198 | 37.07 | 105.61 | 108.76 | 251.44 |
| 7. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 24 | 48 | 3.45 | 2.46 | 0.56 | 6.47 |
| 8. | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| 9. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 20 | 2 | 4 | 26 | 47 | 21 | 88 | 156 | 26.50 | 33.19 | 16.78 | 76.47 |
| 10. | राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 22 | 25 | 0 | 1.02 | 1.08 | 2.10 |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | | | | बकाया अनुच्छेदों की संख्या | | | | संबद्ध राशि (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग |
| 11. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 35 | 47 | 0.75 | 33.97 | 49.43 | 84.15 |
| 12. | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0.43 | 34.12 | 34.55 |
| 13. | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 13 | 23 | 39 | 75 | 23 | 117 | 533 | 673 | 2.96 | 202.51 | 634.45 | 839.92 |
| 15. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 1 | 7 | 25 | 33 | 2 | 10 | 90 | 102 | 0 | 753.85 | 4972.85 | 5726.70 |
| 17. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 4 | 70 | 74 | 0 | 13.54 | 92.18 | 105.72 |
| 18. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2 | 4 | 37 | 43 | 4 | 9 | 196 | 209 | 0 | 5.92 | 795.06 | 800.98 |
| 19. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 1 | 6 | 32 | 39 | 1 | 7 | 141 | 149 | 0 | 4.43 | 6962.59 | 6967.02 |
| 20. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 4 | 15 | 42 | 61 | 6 | 39 | 196 | 241 | 1.06 | 23.48 | 6462.82 | 6487.36 |
| 21. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 49.55 | 49.55 |
| 22. | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.27 | 1.27 |
| 23. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.01 | 6.01 |
| 24. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 |
| 25. | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| 26. | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58.57 | 58.57 |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | | | | बकाया अनुच्छेदों की संख्या | | | | संबद्ध राशि (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग | पाँच वर्षो से पुराने | तीन से पाँच वर्षो के मध्य | तीन वर्ष तक | योग |
| 27. | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 |
| 28. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27.87 | 27.87 |
| 29. | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **94** | **139** | **354** | **587** | **185** | **384** | **2011** | **2580** | **151.35** | **1439.98** | **21678.16** | **23269.49** |

## परिशिष्ट-4

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-31 )**

## प्रधान कार्यालय एवं इकाई कार्यालयों के विभिन्न समूहों/प्रकोष्ठों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यो का विवरण

| समूह/प्रकोष्ठ/कार्यालय | कार्यो का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|
| बीओटी समूह | ग्राहक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन एवं बीओटी परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रदान करना। |
| आरओबी एवं भवन समूह | ग्राहक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन एवं आरओबी तथा भवन परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रदान करना। |
| यांत्रिकी समूह | निर्माण मशीनरी का प्रापण व रखरखाव एवं निर्माण मशीनरी की सहायता से विभागीय कार्यों का निष्पादन |
| गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) समूह | निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करना, परीक्षण नमूनों का संग्रहण, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परीक्षण परिणाम जारी करना |
| लेखा समूह | ग्राहक विभागो/संगठनों से सुर्पुद किए गये कार्यों हेतु कोष संग्रहित करना एवं बीओटी परियोजनाओं के लिए ऋण की व्यवस्था करना तथा परियोजनाओं के क्रार्यान्वयन हेतु इकाई कार्यालयों को कोष प्रदान करना। |
| व्यवसाय संवर्धन एवं निगरानी (बीपीएडंएम) समूह/पूछताछ प्रकोष्ठ | इकाई कार्यालयों द्वारा निष्पादित कार्यों की मासिक प्रगति संग्रहित करना एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर) तैयार करना तथा निर्माण कार्यों हेतु वांछित सीमेण्ट का प्रापण करना। |
| इकाई कार्यालय | सक्षम अनुमोदन के साथ ठेकेदारों को कार्य प्रदान करना, संविदा कार्यों का निष्पादन, निष्पादन का आंकलन करना तथा ठेकेदारों को भुगतान जारी करना, उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित निर्माण कार्यों का निरीक्षण, परीक्षण व कार्यों की निगरानी इत्यादि करना |

## परिशिष्ट-5

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.12 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-39 )**

**11 चयनित कार्यों, जो उन नौ परियोजनाओं से संबंधित थे जहाँ ग्राहक विभाग/संगठन के साथ करार/एमओयू निष्पादित किए गये थे, के निष्पादन एवं हस्तान्तरण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र**

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्य का प्रकार | माह/वर्ष, जिसमें एमओयू/करार निष्पादित किया गया था | एमओयू में परियोजना को हस्तान्तरित किए जाने का निर्दिष्ट माह/वर्ष | माह/वर्ष, जिसमें परियोजना पूर्ण/ हस्तान्तरित की गई थी | विलम्ब माह में (31 मार्च 2020 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लेक फ्रंट, आनासागर, अजमेर का उन्नतीकरण | भवन | जुलाई 2016 | मार्च 2017 | दिसम्वर 2018 | 21 |
| 2 | आरओबी (लेवल क्रासिंग 44) गुलाबबाड़ी, अजमेर | आरओबी | जून 2016 | दिसम्बर 2017 | डब्लयूआईपी | 27 |
| 3 | एलीवेटेड रोड, अजमेर | आरओबी | दिसम्बर 2017 | दिसम्बर 2019 | डब्लयूआईपी | 3 |
| 4 | यूनानी विश्वविद्यालय, टोंक में निर्माण कार्य | भवन | अगस्त 2017 | अगस्त 2018 | फरवरी 2019 | 6 |
| 5 | मतस्य विश्वविद्यालय, के निर्माण कार्य | भवन | सितम्बर 2017 | सितम्बर 2018 | डब्लयूआईपी | 18 |
| 6 | आईटीआई (आईटीआई शेरगढ़) के निर्माण कार्य | भवन | अक्टूबर 2016 | अप्रैल 2018 | अक्टूबर 2018 | 6 |
| 7 | आईटीआई (आईटीआई लोहावत) के निर्माण कार्य | भवन | अक्टूबर 2016 | अप्रैल 2018 | डब्लयूआईपी | 23 |
| 8 | एमडीएम चिकित्सालय जोधपुर में ट्रोमा चिकित्सालय का निर्माण | भवन | फरवरी 2018 | फरवरी 2021 | डब्लयूआईपी | 2020-21 में नियत |
| 9 | जेएनवीयू, जोधपुर में निर्माण कार्य (विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में प्रयोगशाला) | भवन | जून 2018 | दिसम्बर 2019 | जून 2019 | - |
| 10 | जेएनवीयू, जोधपुर में निर्माण कार्य (प्रयोगशाला एवं दो कक्षाएं) | भवन | जून 2018 | दिसम्बर 2019 | डब्लयूआईपी | 3 |
| 11 | लेवल क्रासिंग संख्या 265 पर आरओबी, झुंझुनू | आरओबी | अगस्त 2017 | फरवरी 2019 | डब्लयूआईपी | 13 |

## परिशिष्ट-6

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.14 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-42 )**

## संविदा कार्यों को प्रदान किए जाने में विलम्ब/कमियां

***प्रकरण 1: राजस्थान आर्युवैदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर में सीवरेज उपचार संयंत्र के निर्माण में असामान्य विलम्ब***

राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर (आरएयू) ने इसके परिसर मे सीवरेज उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य कम्पनी को सौंपा (फरवरी 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने ठेकेदार को कार्य प्रदान (मई 2018) किए जाने में 15 माह का असामान्य विलम्ब किया।

सरकार ने कहा कि कम्पनी ने एक सलाहकार नियुक्त किया (मार्च 2017) एवं आरएयू से सलाहकार द्वारा उठाए गये प्रश्न पर उत्तर मांगा (अप्रैल 2017)। चूंकि प्रश्न लम्बे समय तक अनुत्तरित रहा, कम्पनी ने सलाहकार को आरएयू की सलाह से अनुमानों को अंतिम रूप देने, मिट्टी की जाँच इत्यादि हेतु विलम्ब से निर्देशित किया। सलाहकार द्वारा विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने पर कम्पनी ने तकनीकी अनुमान को अंतिम रूप दिया एवं कार्य प्रदान किया।

तथ्य यही रहा कि कम्पनी इसके ग्राहक के साथ समन्वय करने में तत्पर नहीं थी एवं परिणामस्वरूप इसने ठेकेदार को कार्य प्रदान करने में असामान्य समय लिया।

***प्रकरण 2: रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में असामान्य विलम्ब***

कम्पनी ने लेवल क्रासिंग संख्या 265, झुंझुनु पर आरओबी के निर्माण हेतु ₹ 36.12 करोड़ की लागत पर ठेका प्रदान किया (अगस्त 2016)। परियोजना की लागत राजस्थान सरकार एवं भारतीय रेलवे द्वारा समान रूप से वहन की जानी थी। कम्पनी एवं ग्राहक विभाग के मध्य निष्पादित (अगस्त 2017) एमओयू के अनुसार, आरओबी का निर्माण फरवरी 2019 (यथा एमओयू की दिनांक से 18 माह) तक किया जाना था। साथ ही साथ कम्पनी ने सामान्य विन्यास रेखांकन (जीएडी) (भारतीय रेलवे एवं संबंधित सड़क प्राधिकारियों के अनूमोदन सहित) परामर्श सेवाओं हेतु निविदाएं आमंत्रित कर (अक्टूबर 2016) परामर्श कार्य प्रदान किया (फरवरी 2017) एवं जीएडी/संशोधित जीएडी भारतीय रेलवे को इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की (सितम्बर 2017 एवं जनवरी 2018)। संशोधित जीएडी भारतीय रेलवे द्वारा मई 2018 में अनुमोदित की गई थी। तत्पश्चात, कम्पनी ने ठेकेदार को आरओबी का निर्माण कार्य प्रदान किया (मार्च 2019) जो कि प्रगति मे था (अगस्त 2020)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी अगस्त 2018 में कार्य प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विफल रही एवं निविदा विलम्ब से रद्द कर दी गई (जनवरी 2019) क्योंकि निविदा में सीमेण्ट की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा किए जाना प्रावधित था जबकि प्रचलित प्रथा के अनुसार अन्य सभी प्रकरणों में सीमेण्ट की व्यवस्था कम्पनी द्वारा की जाती थी। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने 18 माह से अधिक का असामान्य समय लेने के बाद ठेकेदार को एमओयू में निर्दिष्ट परियोजना पूर्णता अवधि व्यतीत होने के पश्चात कार्य प्रदान किया (मार्च 2019)। इस प्रकार, जीएडी को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदन प्राप्त करने में असामान्य समय लेने के साथ-साथ कार्य संविदा प्रदान करने में ढुलमुल एवं त्रृटिपूर्ण दृष्टिकोण ने समय पर

आरओबी के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर दिया। परिणामस्वरूप, आरओबी के निर्माण से परिकल्पित लाभ भी उस सीमा तक विलम्बित हुए थे क्योंकि कम्पनी अगस्त 2020 तक उल्लेखित व्यय का एक प्रतिशत भी व्यय नहीं कर सकी थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्य में विलम्ब मुख्यतः सीमेण्ट को छोड़ने के पश्चात निविदाओं को पुनः आमंत्रित किए जाने, जीएडी की प्राप्ति में विलंब, स्थल पर अतिक्रमण एवं भारतीय रेलवे द्वारा अनुमानों को स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण था। साथ ही, वर्तमान में कार्य की प्रगति ग्राहक से कोष प्राप्त नहीं होने के कारण धीमी थी।

उत्तर, तथापि, प्रमुख मुद्दो यथा जीएडी को तैयार किए जाने में विलम्ब एवं प्रारंभिक निविदा, इसकी स्वयं की रीति से विचलन कर सीमेण्ट की आपूर्ति ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर आमंत्रित किए जाने, जिसके कारण कार्य प्रदान किए जाने में असामान्य विलम्ब हुआ था, पर मौन था।

***प्रकरण 3: एक लघु निर्माण कार्य को प्रदान एवं निष्पादित किए जाने में असामान्य विलम्ब***

इकाई कार्यालय, अजमेर ने कोष प्राप्त होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ग्राहक) के दो भवनों को मध्य से जोड़ने वाले कॉरीडोर के निर्माण का कार्य ठेकेदार को तीन माह की नियत पूर्णता अवधि के साथ प्रदान किया (दिसम्बर 2016)। ठेकेदार ने सितम्बर 2017 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया था। इसी दौरान ग्राहक ने कार्य के ढांचे में बदलाव किया (सितम्बर 2017) एवं इसके पश्चात कम्पनी को अनेक स्मरण पत्र जारी किए (जनवरी 2018 से अप्रैल 2018)। प्रतिउत्तर में इकाई कार्यालय ने कार्य के संशोधित अनुमान प्रेषित किए (मई 2018) जिनको भी ग्राहक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था (जून 2018)। इस पर इकाई कार्यालय ने विद्यमान ठेकेदार से कार्य वापस ले लिया (जून 2018) एवं एक नवीन कार्यादेश अन्य ठेकेदार को जनवरी 2019 की नियत पूर्णता के साथ जारी किया (अक्टूबर 2018)। कार्य क्रमशः जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में पूर्ण किया जा सका एवं ग्राहक को सौंपा गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई कार्यालय ने न तो ग्राहक के साथ करार निष्पादित किया था न ही प्रारंभ में प्रदान किए गये कार्य की शुरूवात समय पर सुनिश्चत की जैसा कि कार्य ठेका प्रदान किए जाने की तिथि से नौ माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी शुरू नहीं किया जा सका था। इकाई कार्यालय ने विद्यमान कार्य संविदा को निरस्त करने एवं नवीन कार्य संविदा प्रदान किए जाने में पुनः असामान्य विलम्ब किया। इस प्रकार, अग्रिम में कोष प्राप्त होने के बावजूद इकाई कार्यालय ने एक लघु परिमाण वाले कार्य को निष्पादित किए जाने में चार वर्षों का असामान्य समय लिया, जो कि तीन माह की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना था।

सरकार ने कहा कि शुरूआती कार्य ग्राहक से मई 2018 तक कार्य को प्रारंभ किए जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका एवं संशोधित कार्य में मुख्यतः ढलान को हटाये जाने के कारण आधार में व्यवधान एवं द्वित्तीय तल पर फर्नीचर तथा अन्य सामान डंप किए जाने के कारण विलम्ब था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि स्वयं ग्राहक ने इकाई कार्यालय एवं कम्पनी के प्रधान कार्यालय को कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु अनेक स्मरण पत्र लिखे थे। साथ ही, संशोधित कार्य में विलम्ब हेतु वर्णित व्यवधानों की प्रकृति दर्शाती है कि कम्पनी इसके ग्राहको के साथ लघु मुद्दो से निबटने के लिए तत्पर एवं प्रभावी नहीं थी।

## परिशिष्ट-7

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.17 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-47 )**

## क्षतिपूर्ति हर्जाने की कम शास्ति

***मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में ट्रोमा चिकित्सालय का निर्माण***

इकाई कार्यालय, जोधपुर-I ने ग्राहक विभाग के साथ मथुरा दास चिकित्सालय, जोधपुर में ट्रोमा चिकित्सालय के निर्माण कार्य हेतु एमओयू निष्पादित किया (फरवरी 2018)। इकाई कार्यालय ने ठेकेदार को कार्य ₹ 19.86 करोड़ पर निर्दिष्ट प्रारंभ तिथि एवं पूर्णता तिथि क्रमशः मार्च 2018 एवं सितम्बर 2019 के साथ प्रदान किया। कार्य संविदा से संबंधित एसबीडी के खंड 4 (संविदा आंकड़े) के अन्तर्गत वाक्यांश कार्य की भौतिक प्रगति/पूर्णता हेतु तीन माईलस्टोन्स (यथा संविदा मूल्य का 15 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत) निर्दिष्ट करता है। एसबीडी के खंड 3 (संविदा की शर्तें) के अन्तर्गत वाक्यांश 49 के साथ खंड 4 के पूरक वाक्यांश (वाक्यांश 26 व 27) माईलस्टोन्स की प्राप्ति के साथ-साथ सम्पूर्ण कार्य की पूर्णता में विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के विलम्ब के लिए संविदा मूल्य के 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति लगाए जाने का प्रावधान है। कार्य में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत थी।

अगस्त 2020 तक विलम्ब/तीन माईलस्टोन्स को प्राप्त नहीं करने के साथ-साथ सम्पूर्ण कार्य के पूर्ण होने एवं विलम्ब हेतु लगाई गई क्षतिपूर्ति से संबंधित विवरण नीचे वर्णित किया गया है:

**माईलस्टोन्स-बार निष्पादन में विलम्ब एवं लागू क्षतिपूर्ति हर्जाना**

***(₹ करोड़ में)***

| मानदंड | मानदंड हेतु कार्य का आनुपातिक मूल्य | मानदंड प्राप्त करने हेतु निर्दिष्ट माह | माह जिसमे मापदंड प्राप्त किया गया था | विलम्ब माह में | कटौती योग्य क्षतिपूर्ति हर्जाना |
|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi=ii*v***30*0..05%** |
| I (15%) | 2.98 | जुलाई 2018 | अक्टूबर 2018 | 3 | 0.13 |
| II (40%) | 7.94 | दिसम्बर 2018 | सितम्बर 2019 | 9 | 1.07 |
| III (70%) | 13.90 | अप्रैल 2019 | लंबित | 16 | 3.34 |
| सम्पूर्ण कार्य (100%) | 19.86 | सितम्बर 2019 | लंबित | 11 | 3.28 |
| | | | | **योग** | **7.82** |
| | | | | **लगाई/कटौती की जाने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति** | **1.99** |

**स्रोत: कम्पनी के अभिलेख**

यह देखा जा सकता है कि:

- ठेकेदार ने प्रथम दो माईलस्टोन्स को प्राप्त करने में क्रमशः तीन माह एवं नौ माह का विलम्ब किया जबकि यह कार्य पूर्ण होने के निर्दिष्ट माह से 16 माह व्यतीत होने के उपरांत भी तीसरे माईलस्टोन को प्राप्त नहीं कर सका।
- चूंकि कार्य इसके पूर्ण होने के निर्दिष्ट माह से 11 माह व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण रहा, इकाई कार्यालय द्वारा संबंधित चालू बिलों से आनुपातिक क्षतिपूर्ति की कटौती एवं अगस्त 2020 तक ठेकेदार के बिलों से ₹ 1.99 करोड़ मूल्य की कुल क्षतिपूर्ति (यथा अधिकतम क्षतिपूर्ति) की कटौती किया जाना अपेक्षित था। तथापि, इकाई कार्यालय ने अगस्त 2020 तक ठेकेदार द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गये 12 चालू बिलों के समक्ष मात्र 0.05 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कटौती (छठे बिल) कर ₹ 12.78 करोड़ जारी कर दिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इकाई कार्यालय न केवल कार्य के निष्पादन में विलम्ब को नियंत्रित करने में विफल रहा अपितु ठेकेदार के चालू बिलों में से लागू क्षतिपूर्ति की कटौती में भी विफल रहा। इस कारण ₹ 1.94 करोड़ मूल्य की क्षतिपूर्ति की कम कटौती हुई जो कि कार्य संविदा के प्रावधानों के साथ-साथ उच्च प्रबंधन के दिशानिर्देशो का भी उल्लंघन था
- व्यवधान रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया था क्योंकि केवल नवम्बर 2019 तक की ही प्रविष्ठियां दर्ज की गई थी (जून 2020)।
- इकाई कार्यालय ने ठेकेदार से संबंधित विलम्ब का आंकलन कर लागू क्षतिपूर्ति की वसूली किए जाने एवं दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के स्थान पर कार्य संविदा के समापन को टालने हेतु स्वतः ही अंतरिम समय विस्तार (31 जुलाई 2020 तक) प्रदान किया (13 मई 2020)। इस कारण ठेकेदार के भाग पर वास्तविक विलम्ब की गणना का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

क्षतिपूर्ति की कम वसूली एवं व्यवधान रजिस्टर का उचित तरीके से रखरखाब नहीं करना इंगित करता है कि कम्पनी में कार्य की उचित निगरानी एवं वित्तीय नियंत्रण का अभाव है।

सरकार ने कहा कि द्वित्तीय चरण तक लगाई गई क्षतिपूर्ति (₹ 0.05 करोड़) सही काटी गई थी। साथ ही, तृतीय चरण तक कम्पनी ने ₹ 0.10 करोड़ की कुल क्षतिपूर्ति की कटौती की थी जैसा कि ठेकेदार के भाग पर विलम्ब हेतु लागू थी।

उत्तर विश्वसनीय नहीं था क्योंकि भुगतान जारी किए जाते समय, इकाई कार्यालय ने एसबीडी के अनुसार क्षतिपूर्ति की कटौती सुनिश्चित नहीं की थी। साथ ही, प्रस्तुत किया गया व्यवधान रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया था जिसके अभाव में इकाई कार्यालय द्वारा की गई क्षतिपूर्ति की गणना एवं कटौती लेखापरीक्षा में आंकी नहीं जा सकी।

## परिशिष्ट-8

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.19 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-48 )**

## 2016-17 से 2019-20 के दौरान सीमेण्ट (पीपीसी एवं ओपीसी) के प्रापण हेतु प्रदान की गई दर संविदाओं के विवरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्र.सं. | दर संविदा की अवधि | पीपीसी | | | ओपीसी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आदेशित मात्रा (बैग में) | दर (₹ प्रति बैग) | आदेश कीमत (₹ करोड़ में) | आदेशित मात्रा (बैग में) | दर (₹ प्रति बैग) | आदेश कीमत (₹ करोड़ में) |
| 1 | अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 | 72200 | 221.75 | 1.60 | 308300 | 234.50 | 7.23 |
| 2 | अगस्त 2016 से नवम्बर 2016 | 214200 | 209.90 | 4.50 | 144500 | 219.90 | 3.18 |
| 3 | नवम्बर 2016 से मार्च 2017 | 138000 | 187.30 | 2.58 | 277000 | 194.30 | 5.38 |
| 4 | अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 | 180000 | 255.00 | 4.59 | 200000 | 275.00 | 5.50 |
| 5 | जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 (नवम्बर 2017 तक बढ़ाई गई) | 100000 | 210.00 | 2.10 | 200000 | 224.00 | 4.48 |
| 6 | नवम्बर 2017 से फरवरी 2018 | 156000 | 189.00 | 2.95 | 300000 | 199.00 | 5.97 |
| 7 | मार्च 2018 से मई 2018 (जून 2018 तक बढ़ाई गई) | 254300 | 189.00 | 4.81 | 541350 | 203.00 | 10.99 |
| 8 | जून 2018 से दिसम्बर 2018 (जनवरी 2019 तक बढ़ाई गई) | 541100 | 191.00 | 10.34 | 992400 | 208.00 | 20.64 |
| 9 | फरवरी 2019 से अगस्त 2019 (नवम्बर 2019 तक बढ़ाई गई) | 452240 | 209.50 | 9.47 | 1036748 | 223.50 | 23.17 |
| 10 | जनवरी 2020 से जून 2020 (अक्टूबर 2020 तक बढ़ाई गई) | 335000 | 245.00 | 8.21 | 842500 | 263.00 | 22.16 |

## परिशिष्ट-9

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.19 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-49 )**

## सीमेण्ट के प्रापण पर परिहार्य व्यय

आरटीपीपी नियमों के नियम 73 में, केवल उन प्रकरणों में जहाँ आदेशित मात्रा में वृद्धि हुई थी, संविदाओ की संविदा अवधि में वृद्धि किए जाने हेतु प्रावधान है। साथ ही, आपूर्ति आदेश की विशेष नियमों व शर्तो के अन्तर्गत वाक्यांश 5 दर संविदा की वैधता छः माहो तक ही परिसीमित नहीं करता था क्योंकि इसमें दर संविदा की वैधता आपूर्ति के पूर्ण किए जाने तक भी विहित है।

नमूना प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से उजागर हुआ किः

- कम्पनी ने क्रमशः 1036748 ओपीसी बैग (₹ 223.50 प्रति बैग) एवं 452240 पीपीसी बैग (₹ 209.50 प्रति बैग) हेतु आपूर्ति आदेश जारी किए (12 एवं 27 फरवरी 2019)।
- आपूर्ति आदेशों के विशेष नियमों व शर्तो के वाक्यांश 5 के अनुसार, दर संविदाएं छः माह की अवधि तक अथवा आपूर्ति के पूर्ण होने तक वैध थी।
- कम्पनी छः माह की निर्दिष्ट संविदा अवधि (अगस्त 2019 तक) के भीतर केवल 484314 ओपीसी बैग (47 प्रतिशत) एवं 144920 पीपीसी बैग (32 प्रतिशत) की आपूर्ति प्राप्त कर सकी एवं अतः दोनो दर संविदाओं की संविदा अवधि 24 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दी गई (अगस्त/सितम्बर 2019)। तथापि, कम्पनी 31 अक्टूबर 2019 तक केवल 633734 ओपीसी बैग (61 प्रतिशत) एवं 182340 पीपीसी बैग (40 प्रतिशत) की आपूर्ति प्राप्त कर सकी।
- आरटीपीपी नियमों के अप्रासंगिक प्रावधान (नियम 73: परिमाण में परिवर्तन का अधिकार) की गलत विवेचना[1] के आधार पर, कम्पनी ने दर संविदाओं को आगे की अवधि हेतु नहीं बढ़ाये जाने का निर्णय किया (6 नवम्बर 2019) क्योंकि इसने संविदाओं को बढ़ाए जाने हेतु अधिकतम अनुमत्य अवधि तीन अथवा अधिक माह मानते हुए संविदाएं पूर्व में ही बढ़ा दी थी। इस प्रकार, कम्पनी बढ़ाई गई अवधि के अन्त तक 723368 ओपीसी बैग (70 प्रतिशत) एवं 182340 पीपीसी बैग (40 प्रतिशत) की आपूर्ति प्राप्त कर सकी।
- नवीन निविदाएं आमंत्रित कर 842500 ओपीसी बैग (₹ 263 प्रति बैग) एवं 335000 पीपीसी बैग (₹ 245 प्रति बैग) हेतु नई दर संविदाएं जुलाई 2020 (अक्टूबर 2020 तक वृद्धित) तक अनुसूचित पूर्णता सहित प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा किः

- कम्पनी ने आरटीपीपी नियमों के अन्तर्गत दिए गये प्रावधानों के साथ-साथ आपूर्ति आदेशो की विवेचना में गलती की क्योंकि दोनो प्रकार की दर संविदाओं के तहत आदेशित मात्रा अपूरित रही।

1 संविदा अवधि का मूल रूप से प्रदान की गई अवधि के 50 प्रतिशत तक विस्तार किया जाना था जो कि पूर्व में ही संविदा को तीन माह या अधिक हेतु विस्तारित किया जा चुका है।

- संविदा सम्पूर्ण आदेशित मात्रा के पूर्ण होने तक वैध थी एवं सम्पूर्ण आपूर्ति होने तक संविदा अवधि को बढ़ाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा पूर्व में दिए गये विस्तारों (अगस्त/सितम्बर 2019) की आवश्यकता नहीं थी।
- विद्यमान दर संविदाओं को निरस्त किए जाने एवं नई दर संविदाओं के तहत उच्च दरों पर आपूर्ति लिए जाने का निर्णय सही नहीं था। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने उच्च दरों पर सीमेण्ट के प्रापण के कारण ₹ 2.20 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सरकार ने कहा कि आपूर्ति अवधि अनिश्चित कालीन नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने संविदा अवधि को नहीं बढ़ाया था क्योंकि अपूर्तिकर्ता द्वारा आगे विस्तार से मना करने के साथ-साथ संविदा को पूर्णता अवधि के 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि यह आपूर्ति आदेश की विशेष नियमों व शर्तों के वाक्यांश 5 के विरोधाभास में था। साथ ही, कम्पनी ने दर संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के साथ-साथ लागू किए जाने में यथोचित सावधानी नहीं बरती थी।

## परिशिष्ट-10

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.21 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-52 )**

## ग्राहकों से प्राप्त कोषों के आधिक्य में किए गये व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्र

*(₹ करोड़ में)*

| क्र.सं. | कार्यों/परियोजनाओं के विवरण | पूर्णता की तिथि | ग्राहक विभाग/संगठन को परियोजना हस्तान्तरित किए जाने की तिथि | अगस्त 2020 तक किया गया व्यय | ग्राहक विभाग/संगठन से अगस्त 2020 तक प्राप्त कोष | उपलब्ध कोषों के आधिक्य में किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, अजमेर में एन्ट्री प्लाजा कॉमप्लेक्स का विकास | 4 अक्टूबर 2018 | 5 मार्च 2019 | 12.79 | 6.51 | 6.28 |
| 2 | आनासागर झील, अजमेर पर निर्माण कार्य | 30 दिसम्बर 2018 | 9 जनवरी 2019 | 7.02 | 6.75 | 0.27 |
| 3 | एमडीएस विश्वविद्यालय, अजमेर में शुद्ध व व्यवहारिक विभाग का भवन | 24 अगस्त 2018 | 19 जनवरी 2019 | 3.89 | 3.14 | 0.75 |
| 4 | राज ऋषि भर्तरी मतस्य विश्वविद्यालय, अलवर हेतु भवन | जुलाई 2019 में कार्य रोका गया (कोषों की अनुपलब्धता) | - | 7.52 | 6.12 | 1.40 |
| 5 | शेरगढ़, जोधपुर में आईटीआई भवन | 5 अक्टूबर 2018 | 6 जनवरी 2020 | 8.53 | 4.42 | 4.11 |
| 6 | लोहावत, जोधपुर में आईटीआई भवन | अप्रैल 2019 में कार्य रोका गया (कोषों की अनुपलब्धता) | - | 6.57 | 3.41 | 3.16 |
| 7 | झुंझुनु में सैनिक स्कूल का निर्माण (चरण-I) | 24 मई 2018 | 14 सितम्बर 2018 | 91.50 | 84.00 | 7.50 |
| | झुंझुनु में सैनिक स्कूल का निर्माण (चरण-II) | डब्ल्यूआईपी | - | | | |
| | **योग** | | | **137.82** | **114.35** | **23.47** |

**परिशिष्ट-11**

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.29 एवं 2.1.30 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-63 )**

**प्रमुख अभिलेखों को संधारित नहीं किए जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्र**

***प्रकरण 1: व्यवधान रजिस्टर को संधारित नहीं किया जाना***

2016-17 हेतु बजट घोषणा के अनुसरण में, राज्य सरकार ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के अन्तर्गत अनुसूची-XIII को प्रतिस्थापित किया, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता द्वारा व्यवधान रजिस्टर संधारित करना चाहिए एवं विलम्ब (विभाग/ठेकेदार के भाग पर) के कारणों को घटना बार पूर्ण विवरण सहित विशेष रूप से अभिलेखित करना चाहिए। विस्तार के प्रत्येक प्रकरण के साथ व्यवधान रजिस्टर की प्रति एवं प्रभारी अभियंता द्वारा उठाए गये सुधारात्मक उपायो का अभिलेख होना चाहिए। तत्पश्चात, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी किया (22 मई 2017) जिसमें व्यवधान रजिस्टर को तैयार किए जाने हेतु प्रारूप दिया गया था। परिपत्र में आगे प्रावधान है कि:

- ठेकेदार व्यवधान की सूचना प्रभारी अभियंता को लिखित में प्रदान करेगा एवं व्यवधान इसके पूर्ण विवरण के साथ व्यवधान रजिस्टर में अभिलेखित किया जाना था।
- प्रभारी अभियंता व्यवधान को हटाये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए एवं इसका पूर्ण विवरण व्यवधान रजिस्टर में दर्ज करेगा।
- पर्यवेक्षक अधिकारी उनके स्थल निरीक्षण के दौरान व्यवधान रजिस्टर की संवीक्षा करेगा।
- व्यवधान रजिस्टर का मासिक निष्कर्ष प्रभारी अभियंता द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाएगा जिसकी उनके द्वारा त्रैमासिक आधार पर संवीक्षा की जाएगी।
- अंतिम समय विस्तार स्वीकृति प्राधिकारी को अंतिम समय विस्तार केवल व्यवधान रजिस्टर एवं इस रजिस्टर से संबंधित अन्य अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात ही अनुमोदित करना चाहिए।

अतः व्यवधान रजिस्टर, कार्यों को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करने एवं कार्य के निष्पादन में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों की तर्कसंगतता के आंकलन हेतु एक अत्यावश्यक अभिलेख है। कम्पनी ने भी वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में एक परिपत्र जारी किया (31 मई 2017) जिसमें व्यवधान रजिस्टर संधारित किए जाने एवं इसे समय विस्तार के प्रकरणों को प्रक्रियागत करते समय उपयोग किए जाने का प्रावधान था।

42 प्रकरणों की विस्तृत जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि इकाई कार्यालयों ने निम्नलिखित पाँच कार्यों के संबंध में व्यवधान रजिस्टर तैयार नहीं किए थे:

**व्यवधान रजिस्टर को संधारित किए बिना निष्पादित किए गये चयनित कार्य**

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | इकाई कार्यालय | निर्दिष्ट माह, जिसमें कार्य प्रारंभ किया जाना था | निर्दिष्ट माह, जिसमें कार्य पूर्ण किया जाना था | माह जिस तक कार्य पूर्ण किए जाने को वृद्धित किया गया (31 मार्च 2020 को पूर्णता स्थिति) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर में एलीवेटेड सड़क का निर्माण | अजमेर-I | मई 2018 | मई 2020 | अगस्त 2021 (डब्ल्यूआईपी) |
| 2. | गुलाबबाड़ी में आरओबी (लेवल क्रासिंग संख्या 44) का निर्माण | अजमेर-I | अगस्त 2018 | फरवरी 2020 | कोई प्रगति नहीं, अतिक्रमण के कारण कार्य रोका गया। |
| 3. | शेरगढ़, जोधपुर में आईटीआई भवन | जोधपुर-I | जुलाई 2017 | अक्टूबर 2018 | अगस्त 2019 (पूर्ण) |
| 4. | लोहावत, जोधपुर में आईटीआई भवन | जोधपुर-I | फरवरी 2017 | फरवरी 2018 | जुलाई 2019 (कोषों की अनुपलब्धता के कारण कार्य अप्रैल 2019 में रोका गया) |
| 5. | जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर में प्रयोगशाला कक्षा का निर्माण | जोधपुर-I | अक्टूबर 2018 | अप्रैल 2019 | जुलाई 2020 (डब्ल्यूआईपी) |

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरलिखित पाँच कार्यों में से, एक कार्य (क्र.सं 2) अतिक्रमण की वजह से बंद हो गया था जबकि तीन कार्य निर्दिष्ट पूर्णता अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण रहे थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने सुविधाओं को शिफ्ट नहीं करने, कार्यक्षेत्र में बाद में किए गये बदलाव, कोषों की कमी एवं संविदा को सक्रिय रखने इत्यादि के आधार पर इन तीन अपूर्ण कार्यों की पूर्णता अवधि में 15 माह एवं 17 माह के मध्य सीमा अवधि तक विस्तार किया। इसके अतिरिक्त संबंधित ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया गया एकमात्र कार्य (क्र.सं.3) भी ग्राहक विभाग से कोष प्राप्त नहीं होने के कारण बाधित/विलम्बित हुआ था एवं परिणामस्वरूप कम्पनी ने प्रकरण के निपटान हेतु 10 माह का विस्तार अनुमत्य किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन पाँच कार्यों के निष्पादन में किसी एक अथवा अन्य व्यवधान के कारण विलम्ब होने के उपरांत भी संबंधित प्रभारी अभियंता ने इन प्रकरणों में अनिवार्य व्यवधान रजिस्टर संधारित नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, इनमें से किसी भी प्रकरण में संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा व्यवधान रजिस्टर संधारित नहीं किए जाने के संबंध में आपत्ति नहीं उठाई थी। इन प्रकरणों में व्यवधानों की आवश्यक सामयिक प्रतिवेदन किया जाना भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि संबंधित प्राधिकारियों ने व्यवधानों की निगरानी हेतु तंत्र तैयार नहीं किया था, जो कि न केवल अनिवार्य प्रकृति का था अपितु इन कार्यों का समय पर निष्पादन एवं उचित निगरानी हेतु अत्यावश्यक भी था। साथ ही, व्यवधान रजिस्टरों के अभाव में इन प्रकरणों में अनुमत्य किए गये समय विस्तारों की तर्कसंगतता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार ने उत्तर में आक्षेप में उजागर किए गये पाँच प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में संधारित किए गये व्यवधान रजिस्टरों की प्रति प्रस्तुत की जबकि उत्तर अन्य दो प्रकरणों पर मौन था। साथ ही, उत्तर के साथ प्रस्तुत किए गये व्यवधान रजिस्टर अपूर्ण के साथ-साथ अद्यतन भी नहीं थे।

***प्रकरण 2: निर्माण का अनिवार्य कार्यक्रम/अद्यतन कार्यक्रम नहीं प्राप्त करना***

एसबीडी के खंड 3 (संविदा की शर्तों) के अन्तर्गत वाक्यांश 27 में प्रावधान है कि ठेकेदार को खंड 4 (संविदा आंकड़े) में वर्णित समय के भीतर अभियंता को एक कार्यक्रम[2] एवं तत्पश्चात एक अद्यतन कार्यक्रम[3] अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमे आगे प्रावधान है कि यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि में अद्यतन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता है, अभियंता प्रत्येक प्रकरण में आगामी भुगतान प्रमाणपत्र से एक लाख रुपये रोक सकता है एवं इस राशि को अतिदेय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने की तिथि के पश्चात आगामी भुगतान तक रोका जाना जारी रख सकता है।

42 चयनित कार्यों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कम्पनी ने इन चयनित कार्यों, जिनका कार्यादेश मूल्य ₹ 5 करोड़ या अधिक (एक विभागीय कार्य के अलावा) था, में से 21 कार्यों को निविदाएं हेतु एसबीडी को अपनाकर प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित ठेकेदार ने इन 21 कार्यों में से किसी में भी निर्माण कार्य से संबंधित अनिवार्य कार्यक्रम के साथ-साथ अद्यतन कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, संबंधित इकाई कार्यालय ने न तो कार्यक्रम/अद्यतन कार्यक्रम प्राप्त करने हेतु प्रयास किए न ही इन ठेकेदारों को जारी किए गये भुगतानो में से ₹ 21 लाख की राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक लाख) रोकी गई थी। इस प्रकार, एसबीडी में निर्दिष्ट अनिवार्य प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करने ने एसबीडी में इस प्रावधान को सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य को विफल कर दिया। कार्यक्रम/अद्यतन कार्यक्रम को प्रस्तुत किए जाने के अभाव में कार्य निष्पादन की उचित निगरानी संभव नहीं थी जो यह इंगित करता है कि इकाई कार्यालय ने इन कार्यों को प्रभावी रूप से निष्पादित किए जाने की निगरानी नहीं की थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि इन 21 कार्यों में से15 कार्यों में मार्च 2020 को 20 माह तक की सीमा अवधि तक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कम्पनी ने ₹ 5 करोड़ तक कार्यादेश मूल्य वाले शेष 20 चयनित निर्माण संविदाओं में कार्यक्रम/अद्यतन कार्यक्रम को प्रस्तुत किए जाने के वाक्यांश को सम्मिलित नहीं किया था। तथापि, ऐसे अत्यावश्यक वाक्यांश को निर्माण संविदाओं में सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण कम्पनी के अभिलेखों पर नहीं पाये गये थे।

सरकार ने कहा कि इन कार्यों में कार्य स्थल, रेखांकन व डिजाइन को अंतिम रूप नहीं दिए जाने एवं कोषों के अभाव के कारण प्रारंभिक/तत्पश्चात विलम्ब थे जिसकी वजह से अद्यतन पूर्णता कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाना बहुत कठिन था।

उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि आक्षेप में उजागर किए गये मुद्दो को संबोधित नहीं किया गया था।

2 कार्यक्रम जिसमें सामान्य पद्दतियां, व्यवस्थायें, आदेश एवं कार्य की सभी गतिविधियों हेतु समय के साथ मासिक धनापूर्ति का पूर्वानुमान दर्शाया गया हो।

3 कार्यक्रम जिसमें प्रत्येक गतिविधि की प्राप्त वास्तविक प्रगति एवं प्राप्त की गई प्रगति का शेष रहे कार्य के समय पर गतिविधियों की श्रृंखला में किसी प्रकार के बदलाव सहित प्रभाव को दर्शाया गया हो।

## परिशिष्ट-12

**(अनुच्छेद संख्या 2.1.31 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-63 )**

## ठेकेदारों से बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं करना

चयनित कार्यों से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच[4] चयनित इकाई कार्यालयों से संबद्ध 20 प्रकरणों में ठेकेदारों ने एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार बीमा कवर प्रस्तुत करने में चूक की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में वर्णन किया गया है:

**तालिका: परियोजनाएं/कार्य, जहाँ ठेकेदारों ने वांछित बीमा कवर प्रदान करने में चूक की, को दर्शाने वाला विवरण पत्र**

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्यादेश अनुसार नियत | | वास्तव में प्रदान की गई बीमा पॉलिसी | | अवधि जिसके लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया था/विलम्ब से प्रस्तुत किया गया (माह में) | अवधि जिसके लिए बीमा अगस्त 2020 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था (माह में) | अगस्त 2020 तक निष्पादित कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | माह/वर्ष जिससे बीमा शुरू किया जाना था | माह/वर्ष जिससे बीमा (डीएलपी सहित) प्रदान किया गया था | माह/वर्ष जिससे बीमा प्रभावित हुआ | माह/वर्ष जिसमें बीमा समाप्त हुआ/समाप्त होना अपेक्षित था | | | |
| **क** | **इकाई कार्यालय, जोधपुर-I** | | | | | | | |
| 1 | शेरगढ़, जोधपुर में आईटीआई भवन | जून 2017 | अक्टूबर 2021 | नवम्बर 2017 | नवम्बर 2018 | 5 | 21 | 9.25 |
| 2 | लोहावत, जोधपुर में आईटीआई भवन | फरवरी 2017 | फरवरी 2021 | जनवरी 2018 | जुलाई 2018 | -[5] | 13[6] | 3.44 |
| 3 | एमडीएम चिकित्सालय, जोधपुर में ट्रोमा चिकित्सालय का निर्माण | मार्च 2018 | सितम्बर 2022 | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 29 | उ.न. | 11.27 |
| 4 | जेएनवीयू, जोधपुर के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में प्रयोगशाला का निर्माण | दिसम्बर 2018 | जून 2019 | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 6 | उ.न. | 0.25 |
| 5 | जेएनवीयू, जोधपुर में प्रयोगशाला एवं दो कक्षाओं का निर्माण | अक्टूबर 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 22 | उ.न. | 0.27 |

4 जोधपुर-I, अलवर, अजमेर-I, अजमेर-II एवं झुझुनु।

5 कार्य जनवरी 2018 में प्रारंभ हुआ था एवं बीमा कवर भी जनवरी 2018 में प्रदान किया गया था।

6 विलंब की गणना जुलाई 2019 तक ही की गई थी, जब ठेकेदार ने कंपनी को कार्य को अंतमीकरण हेतु कहा था।

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्यादेश अनुसार नियत | | वास्तव में प्रदान की गई बीमा पॉलिसी | | अवधि जिसके लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया था/विलम्ब से प्रस्तुत किया गया (माह में) | अवधि जिसके लिए बीमा अगस्त 2020 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था (माह में) | अगस्त 2020 तक निष्पादित कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | माह/वर्ष जिससे बीमा शुरू किया जाना था | माह/वर्ष जिससे बीमा (डीएलपी सहित) प्रदान किया गया था | माह/वर्ष जिससे बीमा प्रभावित हुआ | माह/वर्ष जिसमें बीमा समाप्त हुआ/समाप्त होना अपेक्षित था | | | |
| 6 | जोधपुर में पुलिस हाऊसिंग क्वाटर्स का निर्माण | सितम्बर 2017 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | दिसम्बर 2017 | दिसम्बर 2020 | 3 | - | 1.78 |
| 7 | जोधपुर में उम्मेद स्टेडियम का निर्माण कार्य | मई 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 27 | उ.न. | 0.31 |
| 8 | उम्मेद स्टेडियम, जोधपुर में शूटिंग रेन्ज पर स्टोन एलीवीऐशन कार्य | अक्टूबर 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 22 | उ.न. | 0.11 |
| 9 | आरएयू, कारवाड़, जोधपुर में एसटीपी का निर्माण | मई 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | प्रदान नहीं की गई | प्रदान नहीं की गई | 27 | उ.न. | 0.71 |
| | **योग क** | | | | | | | **27.39** |
| **ख** | **इकाई कार्यालय, अलवर** | | | | | | | |
| 10 | अलवर में आवासीय (पुलिस) क्वाटर्स | अगस्त 2017 | नवम्बर 2021 | मार्च 2018 | नवम्बर 2018 | 7 | 21 | 4.03 |
| | **योग ख** | | | | | | | **4.03** |
| **ग** | **इकाई कार्यालय, अजमेर-I** | | | | | | | |
| 11 | आनासागर झील, अजमेर पर उन्नयन कार्य | सितम्बर 2016 | दिसम्बर 2021 | जनवरी 2017 | जनवरी 2020 | 4 | 7 | 5.01 |
| 12 | एलीवेटेड सड़क, अजमेर | मई 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | सितम्बर 2019 | मई 2021 | 16 | - | 23.25 |
| 13 | गुलाबबाड़ी, अजमेर में लेवल क्रासिंग संख्या 44 पर आरओबी | अगस्त 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | मई 2019 | फरवरी 2020 | 9 | 6 | 4.88 |
| 14 | ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर में विकास कार्य | अगस्त 2017 | अप्रैल 2021 | जुलाई 2018 | जुलाई 2019 | 11 | 13 | 8.95 |
| | **योग ग** | | | | | | | **42.09** |
| **घ** | **इकाई कार्यालय, अजमेर-II** | | | | | | | |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | कार्यादेश अनुसार नियत | | वास्तव में प्रदान की गई बीमा पॉलिसी | | अवधि जिसके लिए बीमा प्रस्तुत नहीं किया गया था/विलम्ब से प्रस्तुत किया गया (माह में) | अवधि जिसके लिए बीमा अगस्त 2020 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था (माह में) | अगस्त 2020 तक निष्पादित कार्य का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | माह/वर्ष जिससे बीमा शुरू किया जाना था | माह/वर्ष जिससे बीमा (डीएलपी सहित) प्रदान किया गया था | माह/वर्ष जिससे बीमा प्रभावित हुआ | माह/वर्ष जिसमें बीमा समाप्त हुआ/समाप्त होना अपेक्षित था | | | |
| 15 | टोडारायसिंह-भागहेड़ा-केकड़ी सड़क (46/00 किमी से 67/00 किमी) का निर्माण | जनवरी 2018 | सितम्बर 2021 | जनवरी 2019 | जून 2025 | 12 | - | 27.98 |
| | **योग घ** | | | | | | | **27.98** |
| **ड़** | **इकाई कार्यालय, झुंझुनु** | | | | | | | |
| 16 | सैनिक स्कूल छात्रावास, झुंझुनु के छः ब्लाक का निर्माण | अक्टूबर 2018 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | दिसम्बर 2018 | अगस्त 2020 | 2 | - | 23.76 |
| 17 | झुंझुनु में लेवल क्रासिंग संख्या 265 पर आरओबी | मार्च 2019 | सितम्बर 2020 | जून 2020 | जून 2021 | 15 | - | 4.73 |
| 18 | सीकर-झुंझुनु-लुहारू सड़क एनएच-08 (95/100 किमी से 122/600 किमी) के चार लेन का विकास | नवम्बर 2017 | नवम्बर 2021 | फरवरी 2018 | फरवरी 2019 | 3 | 18 | 63.53 |
| 19 | स्टेडियम, झुंझुनु में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण | जनवरी 2019 | अक्टूबर 2019 | मार्च 2019 | जनवरी 2020 | 2 | - | 3.72 |
| 20 | स्टेडियम, झुंझुनु में सिंथेटिक ट्रैक को बिछाना | जनवरी 2019 | अगस्त 2020 (डब्ल्यूआईपी) | अगस्त 2020 | अप्रैल 2021 | 19 | - | 0.44 |
| | **योग ड़** | | | | | | | **96.18** |
| | **कुल योग** | | | | | | | **197.67** |

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- छः प्रकरणों में (क्र. सं 3, 4, 5, 7, 8 एवं 9), ठेकेदारों ने बीमा कवर प्रस्तुत नहीं किया था एवं परिणामस्वरूप, एक कार्य इसके निष्पादन की पूर्ण अवधि (दिसम्बर 2018 से जून 2019) के दौरान बीमित नहीं रहा एवं शेष पाँच कार्य, जो कि प्रगति/डीएलपी के अंतर्गत थे, बीमा के प्रारंभ होने की निर्दिष्ट तिथि से 22 माह एवं 29 माह के मध्य तक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी बीमित नहीं करवाए गये थे।

- शेष प्रकरणों में, ठेकेदारों ने बीमा कवर दो माह एवं उन्नीस माह के मध्य विलंब से प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, सात प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गये बीमा कवर की अवधि पूर्व में ही समाप्त हो गई थी एवं इस प्रकार यह कार्य छः माह एवं इक्सीस माह के मध्य तक की अवधि हेतु बीमित नहीं रहे जैसा कि यह कार्य अगस्त 2020 तक प्रगति/डीएलपी के अंतर्गत थे।
- कार्य संविदाओं में प्रावधानों के उपरांत भी, इकाई कार्यालयों ने संबंधित कार्यों के प्रारंभ से कार्य/डीएलपी की अवधि तक वांछित बीमा कवर की प्राप्ति/नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया था जिसके कारण बड़ी संख्या में कार्य संविदा की सम्पूर्ण अवधि/सारभूत अवधि के लिए बीमित नहीं रहे। इस प्रकार, कम्पनी निर्दिष्ट प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रही।
- एसबीडी/करार में प्रावधान होने पर भी, इकाई कार्यालयों ने, बीमा कवर स्वतः प्राप्त करने/नवीनीकृत करवाए जाने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था। परिणामस्वरूप, ₹ 197.67 करोड़ के कार्य सारभूत अवधि के लिए बीमित नहीं रहे।

## परिशिष्ट-13

**(अनुच्छेद संख्या 2.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-69 )**

**वर्ष के लिए कुल लाभ, कुल करयोग्य आय एवं कुल कर हेतु बजटीय अनुमान तथा वर्ष 2018-19 के दौरान जमा करवायी गई अग्रिम कर की किश्तें**

| क्र.सं. | विवरण | दिनांक | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के लिए कुल अनुमानित लाभ | 15.06.2018 | 172.85 |
| 2 | वर्ष के लिए कुल अनुमानित कर योग्य आय | 15.06.2018 | 162.29 |
| 3 | क्र.सं 2 के 34.944% की दर से वर्ष के लिए कुल अनुमानित कर | 15.06.2018 | 56.71 |
| 4 | प्रथम किश्त (क्र.सं 3 का 15%) हेतु जमा करवाया गया अनुमानित अग्रिम कर | 14.06.2018 | 8.51 |
| 5 | द्वित्तीय किश्त (क्र.सं 3 का 45% - ₹ 8.51 करोड़) हेतु जमा करवाया गया अनुमानित अग्रिम कर | 13.09.2018 | 17.01 |
| 6 | वर्ष के लिए कुल कर योग्य आय का संशोधित अनुमान[7] | 14.12.2018 | 122.29 |
| 7 | क्र.सं 6 के 34.944% वर्ष के लिए कुल कर का संशोधित अनुमान | 14.12.2018 | 42.73 |
| 8 | तृत्तीय किश्त (क्र.सं 7 का 75% - ₹ 25.52.करोड़) हेतु जमा करवाया गया अनुमानित अग्रिम कर | 14.12.2018 | 6.53 |
| 9 | वर्ष के लिए कुल कर का संशोधित अनुमान (क्र.सं 7+₹ 15 करोड़[8]) | 15.03.2019 | 57.73 |
| 10 | चतुर्थ किश्त (₹ 57.73 करोड़ यथा क्र.सं 9 का 100% - ₹ 32.05 करोड़) हेतु जमा करवाया गया अनुमानित अग्रिम कर | 15.03.2019 | 25.68 |

7 गणना राजस्थान मुख्य मंत्री राहत कोष में दिए गये योगदान ₹ 40 करोड़ को घटाने के पश्चात की गई।

8 कर देयता का तदर्थ प्रभाव अतिक्रमण/विवादित भूमि स्कंध की कीमत शून्य मूल्य पर दर्शाये जाने की नीति की समीक्षा से परिकलित किया गया।